16/08/22

पत्रावली नाम पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। चूंकि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित जारी है चूंकि प्रार्थीगण व विपक्षीगण विवादित सम्पत्ति के रेकॉर्ड काश्तकार है। अस्थायी निषेधाज्ञा कायम करना न्यायालय प्रतिवादी लम्बित है। अतः प्रार्थना पत्र 12 सूची अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली विधि अनुसार होकर अग्रिम दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested